रांची में, गुरूवार, दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। माननीय मंत्री, वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य–कर विभाग तथा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/ माननीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण (अल्पसंख्यक कल्याण छोड़कर) विभाग तथा परिवहन विभाग को छोड़कर अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित रहे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

1.	झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्त्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2013 से संबंधित अधिसूचना सं0–820, दिनांक–10.03.2014 एवं झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली (संशोधन), 2015 से संबंधित अधिसूचना सं0–2822, दिनांक 27.07.2015 में संशोधन/विलोपन पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।	*1.* **स्वीकृत।**

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

2.	खरीफ विपणन मौसम 2021–22 में धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय हेतु बैंक ऑफ इंडिया एवं भारतीय स्टेट बैंक से क्रमशः 776 करोड़ एवं 776 करोड़ कुल 1552 करोड़ रुपये के ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	*2.* **स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

3.	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–3623, दिनांक–23.06.2016 द्वारा प्रवृत्त ''झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्तें) नियमावली 2016'' में संशोधन करते हुए ''झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021'' प्रवृत्त करने के संबंध में।	*3.*	**स्वीकृत।**

वित्त विभाग

4.	e-KUBER Payment integration framework के तहत कोषागार के माध्यम से DBT किए जाने वाले भुगतान हेतु National Automated Clearing House (NACH) Payment Mode लागू करने के संबंध में।	*4.*	**स्वीकृत।**

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

5.	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन ''झारखण्ड अवर मत्स्य सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–2021'' की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	*5.*	**स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

6.	पथ प्रमण्डल, देवघर अंतर्गत ''बाराटांड से जरमुण्डी पथ (MDR-223) (कुल लंबाई–32.850 कि०मी०) का मजबूतीकरण कार्य'' हेतु रू० 25,60,39,900/– (पचीस करोड़ साठ लाख उनचालीस हजार नौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	*6.*	**स्वीकृत।**

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

7. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अंतर्गत Project Approval Board (PAB) की 12वीं, 14वीं, 15वीं एवं 16वीं बैठक में 14 संबद्ध/अंगीभूत महाविद्यालयों के स्तरोन्नयन हेतु रू० 4,00,00,000/– (चार करोड़) मात्र प्रति महाविद्यालय की दर से कुल रू० 56,00,00,000/– (छप्पन करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — *7.* **स्वीकृत।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

9. झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त श्री संजय कुमार सरोज की नियुक्ति/अभ्यर्थिता रद्द किये जाने का प्रस्ताव। — *9.* **स्वीकृत।**

खान एवं भूतत्व विभाग

10. पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत मुसाबनी अंचल के मौजा–सुरदा के रकबा 388.68 हे० क्षेत्र पर कॉपर एवं एसोसिएट खनिज के खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति हेतु सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लि० का आवेदन पत्र दिनांक 27.12.2019 के संबंध में। — *10.* **स्वीकृत।**

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

11. झारखण्ड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन के संबंध में। — *11.* **स्वीकृत।**

<u>पथ निर्माण विभाग</u>

12.	बोकारो जिलान्तर्गत "सारूबेड़ा (डुमरी–नवाडीह पथ के 26वें कि0मी0 पर) से पिलपिलो मोड़ पथ (लम्बाई–25.832 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू–अर्जन सहित)" हेतु रु0 43,03,68,200/– (तैंतालीस करोड़ तीन लाख अड़सठ हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	*12.* **इस शर्त के साथ स्वीकृत कि निविदा प्रकाशन के पूर्व ग्रामीण कार्य विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर ली जाय।**

<u>पथ निर्माण विभाग</u>

13.	धनबाद जिलान्तर्गत "मनियाडीह (डोमनपुर–मनियाडीह– कोल्हरमोड़ पथ पर) से सर्रा भाया मछियारा पथ (लंबाई–12.814 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/ पुनर्निर्माण कार्य (पुल एवं भू–अर्जन सहित)" हेतु रु0 30,73,31,500/– (तीस करोड़ तिहत्तर लाख एकतीस हजार पांच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	*13.* **इस शर्त के साथ स्वीकृत कि निविदा प्रकाशन के पूर्व ग्रामीण कार्य विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर ली जाय।**

<u>पथ निर्माण विभाग</u>

14.	पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत "गोयलकेरा (NH-320D पर)– औरंगा–सेरेंगदा पथ (कुल लम्बाई–30.00 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू–अर्जन सहित)" हेतु रु0 120,00,63,200/– (एक सौ बीस करोड़ तिरसठ हजार दौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	*14.* **इस शर्त के साथ स्वीकृत कि निविदा प्रकाशन के पूर्व ग्रामीण कार्य विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर ली जाय।**